

**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 72

दिनांक :- 24/01/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार राँची।

विषय :- मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड का Tie-in Connectivity of ONGC Bokaro CBM Field into JHBDPL Network of GAIL परियोजना हेतु कुल 8.3618 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 822 दिनांक 17.10.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो का पत्रांक 40 दिनांक 06.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मेसर्स गेल इण्डिया लिमिटेड के Tie-in Connectivity of ONGC Bokaro CBM Field into JHBDPL Network of GAIL परियोजना हेतु कुल 8.3618 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियों में प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव के जाँचोंपरान्त त्रुटियाँ पाई गई, जिसे बिन्दुवार अंकित करते हुए प्रतिवेदन की मांग इस कार्यालय के पत्रांक 1183 दिनांक 16.11.2022 द्वारा की गई तथा प्रस्ताव पर EDS raise करते हुए प्रस्ताव दिनांक 17.11.2022 को वापस किया गया। इंगित त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 40 दिनांक 06.01.2023 (जो हार्ड कॉपी में दिनांक 10.01.2023 को प्राप्त हुआ), द्वारा समर्पित किया गया है। प्रस्ताव Online दिनांक 06.01.2023 को अग्रसारित किया गया है।

समर्पित प्रतिवेदनानुसार अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

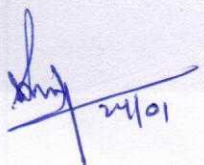
1. प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त है एवं प्रस्ताव पर विस्तृत नोट संलग्न है (Annexure-4)।

प्रस्तावित पाईपलाईन परियोजना में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :-

प्रमंडल का नाम	क्र० सं०	मौजा का नाम	थाना नं०	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे० में)	जंगल झाड़ी दर्ज भूमि का रकबा (हे० में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकबा (हे० में)	वनस्पति घनत्व
	1	2	3	4	5	6	7
बोकारो वन प्रमंडल	1	बाराडीह	82	—	0.8639	0.8639	0.5
	2	कल्याणपुर	81	—	0.4719	0.4719	
	3	बकसपुरा	80	0.0058	0.2841	0.2899	
	4	बारू	79	—	0.5601	0.5601	

5	चांदो	55	—	0.4582	0.4582
6	खुर्द चांदो	59	0.0164	0.5741	0.5905
7	रघुबहियार	58	0.0242	1.4512	1.4754
8	रोहर	57	—	1.0506	1.0506
9	चाटुगढ़ा	39	—	0.7357	0.7357
10	केसवारी	44	—	0.3830	0.3830
11	चांपी	43	0.0397	0.9298	0.9695
12	घरवाटांड बालुडीह	42	—	0.3174	0.3174
13	झिरकी	120	0.1957	—	0.1957
कुल रकबा :-			0.2818	8.0800	8.3618

2. प्रस्ताव के पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज कर संलग्न किया गया है।
3. प्रस्ताव के साथ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो की अनुशंसा पार्ट-III में अंकित कर समर्पित किया गया है, (Annexure-34)।
4. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल का पार्ट-II संलग्न है (Annexure-30)। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन Annexure-29 तथा अनुशंसा (Specific recommendation) Annexure-28 पर संलग्न है।
5. प्रस्ताव के साथ Part-II Offline Form संलग्न है (Annexure-31)।
6. प्रस्ताव के साथ Form-A Part-I Online Form संलग्न है (Annexure-1)। साथ ही Form-A Part-I Offline Form संलग्न है (Annexure-3)।
7. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाली वनभूमि का Land Schedule संलग्न है (Annexure-7)।
8. प्रस्ताव में सन्निहित 8.08 हे० गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त, बोकारो के ज्ञापांक 3061/रा० दिनांक 06.12.2022 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है (Annexure-35)।
9. प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र अप्राप्त है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (Annexure-15) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 05.04.2019 संलग्न किया गया है, जिसमें स्टेज-I स्वीकृति प्राप्त करने में FRA प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है (Annexure-14)।
10. अंचल अधिकारी, जरीडीह (बोकारो) द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अंचलीय स्तर पर सम्पन्न हुए ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति जो अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो, (तेनुघाट) को समर्पित की गयी है, की प्रति संलग्न है (Annexure-15 A)।
11. प्रस्ताव के साथ अंचल अधिकारी, जरीडीह, पेटरवार एवं गोमिया द्वारा सत्यापित भूमि विवरणी (Land Schedule) की प्रति संलग्न है (Annexure-6)।
12. प्रस्ताव में सम्मिलित गैर वनभूमि का विवरण संलग्न है (Annexure-8)।
13. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होनेवाले वृक्षों की विस्तृत गणना सूची एवं प्रजातिवार/Girthwise Abstract संलग्न है (Annexure-16)।

 24/01

14. प्रस्ताव के साथ Digitized ग्राम कैडेस्ट्रल मानचित्र (Geo reference map) पर लोकेशन दर्शाते हुए संलग्न है (Annexure-24)। साथ ही DGPS Map एवं KML File CD के रूप में संलग्न है (Annexure-17)।
15. प्रस्ताव के साथ 1:50000 स्केल वाले टोपो मानचित्र पर प्रस्तावित पाईपलाईन को दर्शाते हुए संलग्न है (Annexure-22)।
16. प्रस्तावित पाईपलाईन परियोजना का Layout map संलग्न है। (Annexure-23)
17. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित भूमि का Digitized ग्राम कैडेस्ट्रल मानचित्र संलग्न है (Annexure-18)। साथ ही CA land का KML file CD के रूप में संलग्न है (Annexure-17)।
18. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित भूमि को 1:50000 स्केल वाले टोपो मानचित्र पर दर्शाते हुए समर्पित किया गया है, (Annexure-19)।
19. 10 वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन संलग्न है (Annexure-33)। साथ ही CA suitability report Annexure-32 पर संलग्न है।
20. मेसर्स गेल इंडिया लि० का Authorization letter संलग्न है (Annexure-2)।
21. प्रस्ताव के साथ Justification for locating the project in forest area संलग्न है (Annexure-9)।
22. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को ऑनलाईन समर्पित करने से संबंधित Acknowledgement Slip की प्रति संलग्न है (Annexure-1A)।
23. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण की राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है (Annexure-11)।
24. प्रस्ताव के साथ NPV की राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है (Annexure-12)।
25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन एवं वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा लगाये गये अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन किये जाने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (Annexure-13)।
26. पाईपलाईन के प्रस्तावित रूट से निकटतम हवाई अड्डा की दूरी 10 कि०मी० से अधिक है, संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है (Annexure-26)।
27. प्रस्ताव के साथ न्यूनतम वनभूमि उपयोग से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न है (Annexure-10)।
28. प्रस्ताव के साथ परियोजना स्थल पर श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं करने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (Annexure-27)।
29. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किये जाने संबंधी वचनबद्धता समर्पित किया गया है (Annexure-20 & 21)।

30. प्रस्ताव के लिए लागत लाभ विश्लेषण प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-69/2011-FC (Pt.) दिनांक 01.08.2017 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है (Annexure-5)।

31. Alternate Route Alignment Topo map संलग्न है। प्रस्तावित पाईपलाईन रूट के चयन संबंधी Justification संलग्न है। (Annexure-25)

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 8.3618 हे० वनभूमि के अपयोजन हेतु अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके मंतव्य से सहमत होते हुए विषयगत परियोजना हेतु कुल 8.3618 हे० वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज-I की स्वीकृति हेतु अनुसंशा की जाती है।

मूल प्रस्ताव की तीन-तीन प्रतियाँ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। इस परियोजना प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

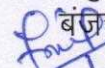
अनु०:-यथोक्त।

(तीन प्रतियों में)

विश्वासभाजन,

 24.01.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची

 24/01/2023

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*Tie-in Connectivity of ONGC Bokaro CBM Field into JHBDPL
Network of GAIL 8.3618 ha.*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 8.3618 ha of Forest land.

Date :- 24.01.2023

Place :- Ranchi

Signature



24.01.2023

(Sanjay Srivastava)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)